International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 11-12-2022, Accepted: 26-12-2022, Published: 13-01-2023
Volume 9, Issue 1, 2023, Page No. 13-15

पंचायती राज–व्यवस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता (जनपद हरिद्वार के संदर्भ में)

वंदना सैनी
पूर्व शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान, एस०एम० जे० एन० (पी०जी०) कालेज, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश
राजनीतिक सहभागिता को लोकतन्त्र का आधार माना जाता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं की लोकतान्त्रिकता का नाम ही राजनीतिक सहभागिता है। लोकतंत्र में जितनी सहभागिता अधिक होगी उतना ही उसे वास्तविक और सफल माना जायेगा। लोकतन्त्र में 'जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए' सरकार यथार्थ में तब ही स्थापित हो सकती है, जब लोगों की अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता हो। लोकतन्त्र में व्यापक मताधिकार के माध्यम से आम आदमी शासनतन्त्र में सहभागी बन जाता है। उसके सहभागी बनने का यह विधिक प्रावधान ही व्यक्ति को राजनीतिक कृत्य के लिए आगे लाता है। अतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था की कार्यात्मकता का आधार राजनीतिक व्यवस्था में जन–सहभागिता ही मानी जाती है। लोकतन्त्र की सफलता या असफलता का अंकन राजनीतिक सहभागिता की मात्रा के आधार पर किया जाता रहा है। राजनीतिक विरक्तता या उदासीनता को लोकतन्त्र के लिए खतरा माना जाता है। इस सबसे स्वतः ही यह निष्कर्ष निकलने लगता है कि लोकतन्त्र की श्रेष्ठता के लिए राजनीतिक सहभागिता का आधिक्त अनिवार्य होता है।
प्रत्येक व्यक्ति का राजनीति में भागीदारी का स्तर अलग–अलग होता है। किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक अभिरूचि उसकी स्थिति–परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक मिलकर राजनीतिक वातावरण तैयार करते हैं। व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक सहभागिता व्यक्ति की मनोवृत्ति और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सहभागिता के जितने भी लक्षण पाये जायेंगे, वह उसके उतने ही आधुनिक होने का प्रमाण है। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक समाज अपने प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा करता है कि वह सरकार के संचालन में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। बिना किसी भय और हस्तक्षेप के राजनीतिक सहभागिता, उच्च राजनीतिक विकास का संकेतक है।

मूल शब्दः राजनीतिक सहभागिता, मतदान, राजनीतिक दल, चुनाव प्रचार।

अध्ययन का उद्देश्य
1. ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है अथवा नहीं।
2. महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पंचायती राज–व्यवस्थाओं में सहायक सिद्ध हुई है अथवा नहीं।

अध्ययन पद्धति
इस शोध पत्र में सामान्य सांख्यकीय विधि का प्रयोग किया गया है। साथ ही जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र से 50 महिला उत्तरदाताओं को चुना गया है।
शोधकर्त्री ने प्रस्तुत शोध पत्र के लिए मतदान, राजनीतिक दल की सदस्यता तथा चुनाव प्रचार में भाग लेने को राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख संकेतक के रूप में चुना है।

आँकड़ों के स्रोत
प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक (पत्र–पत्रिकायें, शोध पत्रों एवं पुस्तकों आदि) तथा प्राथमिक स्रोतो का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तावना
राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित विभिन्न देशों के अनुभव एक निमित चित्र प्रस्तुत करते हैं। परन्तु प्रजातंत्र की स्थापना व विकास में इसको अत्यन्त महत्वपूर्ण जाना जाता है। सर्वप्रथम, राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं, समस्याओं व अनुभवों का ज्ञान प्राप्त करना सहज है। द्वितीय, राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से जन–असुविधाओं व समस्याओं को हल करने के उचित कार्यक्रम व योजनायें निर्मित की जा सकती हैं। तृतीय, स्थानीय स्तर पर निर्णय–निर्माण में राजनीतिक सहभागिता को स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् कार्य को पूर्ण कराने के लिए आवश्यक स्वरूप प्राप्त किये जाते हैं। चतुर्थ, राज्य द्वारा लिये गये निर्णय व निर्मित कार्यक्रमों की अधिक सहजता से जन–स्वीकृति मिल जाती है। पंचम, राजनीतिक सहभागिता का महत्व इस तथ्य में भी सन्निहित है कि इससे राज्य–व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर नीतियों और कार्यक्रमों के प्रबन्धकर्ता और प्रशासन उपलब्ध हो सकते हैं। षष्टम्, राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से राज्य के विभिन्न कार्यों, नीतियों, निर्णयों आदि को उचित रूप से निर्धारित किया जा सकता है। सप्तम्, राज्य–व्यवस्था को राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से अधिक राजनीतिक समर्थन व सहयोग प्राप्त हो सकता है। अष्टम्, राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से समाज का निर्बल वर्ग भी राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है व अन्तिम राजनीतिक सहभागिता मे राज्य–व्यवस्था को गत्यात्मकता प्राप्त होती है।

राजनीतिक सहभागिता का अर्थ एवं परिभाषा
राजनीतिक सहभागिता (या अंशभागिता) प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य संघटक है। प्रजातन्त्रीय

व्यवस्थाओं में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें नागरिकों से भागीदारी की आशा की जाती है। [1]

व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया निरन्तर, यदा–कदा या एक बार ही होती हो, प्रत्येक स्थिति में यह व्यक्ति की ऐसी क्रिया है, जिसका सीधा प्रभाव राजनीतिक समाज की संक्रियात्मकता पर पड़ता है। व्यक्ति की ऐसी राजनीतिक क्रिया (राजनीति, शासनीय निर्गतों सम्बन्धी निर्णय लेने की प्रक्रिया है) व्यक्ति को राजनीति में सहभागी बना देती है, यही व्यक्ति की 'राजनीतिक सहभागिता' है।

आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थायें जन–सहभागिता के सिद्धान्त पर आधारित होती है। जन–सत्ता को व्यावहारिक बनाने का एकमात्रा माध्यम, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन है। लोग वोट देकर एक निश्चित अवधि के लिए अपनी राजनीतिक सम्प्रभुता अपने द्वारा विधिवत् निर्वाचित प्रतिनिधि को सौंप देते हैं। यह वोट देना एक राजनीतिक क्रिया है, क्योंकि इससे राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारिता प्रभावित होती है; अतः मतदान राजनीतिक सहभागिता है। स्पष्ट होता है कि राजनीतिक क्रियायें करने के कारण कुछ भी रहें हों उनका परिणाम हमेशा ही एक दिखाई देता है अर्थात् राजनीतिक समाज के शासित होने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अतः राजनीतिक सहभागिता इसके कारणें व परिणामों के घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई विशेष प्रकार की राजनीतिक गतिविधि होती है।

आमण्ड एण्ड सिडनी बर्वा[2] ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर में लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कृति के विकास एवं समुदाय का आधुनिक और लोकतान्त्रिक बनाने का महत्वपूर्ण तत्त्व है। लेस्टर, डब्ल्यू0 मिलब्रेथ[3] के अनुसार, राजनीतिक सहभागिता व्यक्तिगत नागरिकों के ऐसे कार्यों को कहा जा सकता है जिससे वह शासन व राजनीति को प्रभावित या सहयोग देने का प्रयत्न करे।

मिलब्रेथ की उपरोक्त परिभाषा राजनीतिक सहभागिता की अन्य परिभाषाओं से व्यापक है क्योंकि यह मात्रा राजनीतिक निर्गतों को प्रभावित करने वाले कार्यों को ही नहीं अपितु शासन को सहयोग देने वाले कार्यों को भी सम्मिलित करती है।

इस भांति, राजनीतिक सहभागिता नागरिकों के ऐसे कार्यों को कहते हैं जो शासकीय कर्मचारियों के चयन या नीति–निर्माण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करें। व्यक्तिगत या नागरिकों के विशिष्ट समूहों के लिए चुनावों के मध्य की गई राजनीतिक क्रियाएँ प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य क्षेत्रों में जैसे– परिवार, विद्यालय, स्वैच्छिक संगठन और कार्यालय इत्यादि में सहभागिता के अवसर प्राप्त होना आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक सहभागिता राष्ट्रीय एवं स्थानीय नेतृत्व, स्वैच्छिक संगठनों की सदस्यता, व्यक्तिगत या सामुदायिक कार्यों से, शासकीय कर्मचारियों से सम्पर्क, पत्रा–लेखन, प्रतिवेदन इत्यादि से सम्बन्धित है। राजनीतिक सहभागिता में राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीतिक गतिविधियाँ ही आती हैं। अतः यह संकल्पना केवल व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया के इर्द–गिर्द घूमती है और इसमें मूल तथ्य व्यक्ति है। स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सहभागिता में व्यक्ति का राजनीति में आबंटन या उलझाव अथवा राजनीतिक कृत्य अनिवार्यतः रहता है।

सारणी संख्या 1: शैक्षिक स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं के अनुसार मतदान में भाग लेने का वर्गीकरण

शैक्षिक स्तर/ उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण	उच्च शिक्षित		मध्यम शिक्षित		अल्प शिक्षित		अशिक्षित		कुल योग	
	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०
अक्सर	1	14.3	3	20.0	2	18.2	4	23.5	10	20.0
कभी–कभी	1	14.3	4	26.7	3	27.3	5	29.4	13	26.0
कभी नहीं	5	71.4	8	53.3	6	54.5	8	47.1	27	54.0
कुल योग	7	14.0	15	30.0	11	22.0	17	34.0	50	100.0

सारणी से स्पष्ट होता है कि मतदान में भाग लेने वाली उच्च शिक्षित 28.6 प्रतिशत, मध्यम शिक्षित 46.7 प्रतिशत, अल्प शिक्षित 45.5 प्रतिशत तथा अशिक्षित 52.9 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। मतदान में भाग न लेने वाली उच्च शिक्षित 71.4 प्रतिशत, मध्यम शिक्षित 53.3 प्रतिशत, अल्पशिक्षित 54.5 प्रतिशत तथा अशिक्षित 47.1 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। अतः स्पष्ट होता है कि शिक्षित उत्तरदाताओं की अपेक्षा अल्पशिक्षित तथा अशिक्षित उत्तरदाता मतदान में अधिक भाग लेती हैं।

सारणी संख्या 2: शैक्षिक स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं के अनुसार वोट देने का वर्गीकरण

शैक्षिक स्तर/ उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण	उच्च शिक्षित		मध्यम शिक्षित		अल्प शिक्षित		अशिक्षित		कुल योग	
	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०
स्वेच्छा से	1	14.3	3	20.0	2	18.2	3	17.6	9	18.0
पिता/पति की इच्छा से	1	14.3	4	26.7	3	27.3	6	35.3	14	28.0
कभी वोट नहीं देती	5	71.4	8	53.3	6	54.5	8	47.1	27	54.0
कुल योग	7	14.0	15	30.0	11	22.0	17	34.0	50	100.0

सारणी से स्पष्ट होता है कि स्वेच्छा से वोट देने वाली उच्च शिक्षित 14.3 प्रतिशत, मध्यम शिक्षित 20.0 प्रतिशत, अल्प शिक्षित 18.2 प्रतिशत तथा अशिक्षित 17.6 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। पिता/पति की इच्छा से वोट देने वाली उच्च शिक्षित 14.3 प्रतिशत, मध्यम शिक्षित 26.7 प्रतिशत, अल्पशिक्षित 27.3 प्रतिशत तथा अशिक्षित 35.3 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। जबकि उच्च शिक्षित 71.4 प्रतिशत, मध्यम शिक्षित 53.3 प्रतिशत, अल्प शिक्षित 54.5 प्रतिशत तथा अशिक्षित 47.1 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसी हैं जो कभी वोट नहीं देती।

सारणी संख्या 3: शैक्षिक स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं के अनुसार राजनीतिक दल की सदस्यता का वर्गीकरण

शैक्षिक स्तर/ उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण	उच्च शिक्षित		मध्यम शिक्षित		अल्प शिक्षित		अशिक्षित		कुल योग	
	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०
हाँ	2	28.6	6	40.0	3	27.3	2	11.8	13	26.0
नहीं	5	71.4	9	60.0	8	72.7	15	88.2	37	74.0
कुल योग	7	14.0	15	30.0	11	22.0	17	34.0	50	100.0

सारणी से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दल की सदस्यता उच्च शिक्षित वर्ग में 28.6 प्रतिशत, मध्यम शिक्षित वर्ग में 40. 0 प्रतिशत, अल्प शिक्षित वर्ग में 27.3 प्रतिशत तथा अशिक्षित वर्ग में 11.8 प्रतिशत रही। जबकि राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण न करने वाली उच्च शिक्षित 71.4 प्रतिशत, मध्यम शिक्षित 60.0 प्रतिशत, अल्पशिक्षित 72.7 प्रतिशत तथा अशिक्षित 88.2 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। अतः स्पष्ट होता है कि अल्प शिक्षित एवं अशिक्षित उत्तरदाताओं की अपेक्षा राजनीतिक दल की सदस्यता उच्च शिक्षित तथा मध्यम शिक्षित उत्तरदाताओं में अधिक है।

सारणी संख्या 4: शैक्षिक स्तर के आधार पर उत्तरदाताओं के अनुसार चुनाव–प्रचार में भाग लेने का वर्गीकरण

शैक्षिक स्तर/उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण	उच्च शिक्षित		मध्यम शिक्षित		अल्प शिक्षित		अशिक्षित		कुल योग	
	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०	कुल	प्रति०
अक्सर	00	0.0	2	13.3	2	18.2	3	17.6	7	14.0
कभी–कभी	1	14.3	4	26.7	2	18.2	2	11.8	9	18.0
कभी नहीं	6	85.7	9	60.0	7	63.6	12	70.6	34	68.0
कुल योग	7	14.0	15	30.0	11	22.0	17	34.0	50	100.0

सारणी से स्पष्ट होता है कि चुनाव–प्रचार में भाग लेने वाली उत्तरदाताओं में से उच्च शिक्षित 14.3 प्रतिशत, मध्यम शिक्षित 40.0 प्रतिशत, अल्प शिक्षित 36.4 प्रतिशत तथा अशिक्षित 29.4 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। जबकि चुनाव–प्रचार में भाग न लेने वाली उच्च शिक्षित 85.7 प्रतिशत, मध्यम शिक्षित 60.0 प्रतिशत, अल्पशिक्षित 63.6 प्रतिशत तथा अशिक्षित 70.6 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। अतः स्पष्ट होता है कि अशिक्षित तथा उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं की अपेक्षा मध्यम एवं अल्पशिक्षित उत्तरदाता चुनाव–प्रचार में अधिक भाग लेती हैं।

निष्कर्ष

लोकतान्त्रिक व्यवस्था का अस्तित्व बहुत सीमा तक नागरिकों की जन–सहभागिता पर निर्भर करता है। राजनीतिक सहभागिता का उच्च स्तर जनता की शिक्षा, आय के स्तर तथा उनकी सामाजिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। यद्यपि भारत में गणराज्य की परम्परा तो अति प्राचीन है, किन्तु आधुनिक लोकतंत्र को हमने अपने संविधान के निर्माण के साथ–साथ मूलतः पश्चिम से ही आसात् किया है। पश्चिम के लोगों का शैक्षिक एवं जीवन–स्तर काफी उच्च है अस्तु, उनके अन्दर राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उच्च है। किन्तु भारत में अभी भी साक्षरता की दर 2001 की जनगणना के अनुसार 64.84 प्रतिशत है। भारत की 27.5 प्रतिशत जन–संख्या अभी भी गरीबी–रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रा अत्यन्त पिछड़े हुए तथा 35.16 प्रतिशत जन–संख्या निरक्षर है। इन कारणें से नीति–नियामकों और जनप्रतिनिधियों के सामने ग्रामीण समाज पर नियन्त्राण एवं प्रशासन में जन–सहभागिता की समस्या सदैव रहती है।

महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों का आदि और अन्त दोनों ही मतदान पर हो जाता है, अर्थात् राजनीतिक सहभागिता के नाम पर वे केवल अपने को वोट देने तक ही सीमित रखती है। ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति में मुख्यतः पुरुषों का प्रभुत्व है। महिलाएँ मुख्यतः अपने पिता/पति से प्रभावित होकर अपनी राजनीतिक सहभागिता को निश्चित करती है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। जिसके लिए महिलाओं में शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन (आर्थिक स्वतंत्रता) प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारक हैं।

संदर्भ सूची

1. महाजन, धर्मवीर (1996) : राजनीतिक समाजशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृष्ठ– 150 ।
2. आमण्ड एण्ड बर्वा (1961) : द सिविक कल्चर, प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंस्टन एन०जे०, पृष्ठ– 245 ।
3. मिलब्रेथ, एल0डब्लू0 (1965) : पालिटिकल पार्टिसिपेशन, रैण्ड मेकनेली एण्ड कम्पनी, शिकागो, पृष्ठ– 25 ।